न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 296 / 2023 जिला जयपुर

1. रोहिताश पुत्र कल्या उर्फ कल्याण
2. रामेश्वर पुत्र कल्या उर्फ कल्याण
3. नौरता पुत्र कल्या उर्फ कल्याण
4. विनोद पुत्र रामचन्द्र
5. नागर पुत्र भूराराम
6. ग्यारसी बेवा बाबूलाल
7. कैलाश पुत्र भूराराम
8. कृष्ण पुत्र बाबूलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

– अपीलांट्स

बनाम

1. प्रकाश पुत्र रामजीलाल
2. कैलाशी पुत्री रामजीलाल
3. किशनी पुत्री रामजीलाल
4. नर्बदा पुत्री रामजीलाल
5. मदन लाल पुत्र रामजीलाल
6. मिश्री देवी पत्नी रामजीलाल
7. शारदा पुत्री रामजीलाल
8. सुशीला पुत्री रामजीलाल
9. साधूराम पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति मीना निवासी शेरपुरा तन खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

– रेस्पोडेन्ट्स

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
11. अंजू पुत्री हजारी
12. अनोप पत्नी रामचन्द्र
13. अशोक पुत्र गिरधारी
14. पतासी पत्नी रामेश्वर
15. पूरणी पत्नी गोपाल
16. बनारसी पत्नी स्व० हजारी
17. बिदामी पत्नी गिरधारी
18. मंजू पुत्री हजारी
19. मामली देवी पत्नी अशोक कुमार
20. माया पत्नी विरेन्द्र कुमार
21. विद्या पत्नी पूरणमल
22. विनोद पुत्र रामचन्द्र
23. संतोष पत्नी नारायण
24. सुनीता पत्नी गोवर्धन
25. सुमन पत्नी हजारी
26. सुरेश पुत्र हजारी
27. प्रेम देवी पुत्री गणेश
28. रामेश्वर पुत्र गणेश
29. बिदामी पत्नी चन्दा
30. विरेन्द्र पुत्र चन्दा
31. पूरण पुत्र चन्दा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

32. गोपाल पुत्र चन्दा
33. राजू पुत्र बोदू
34. लीलाराम पुत्र बोदू
35. मदन पुत्र बोदू
36. सीताराम पुत्र बोदू
37. शांति पत्नी बोदू
38. मंजू देवी पुत्री बोदू
39. सुप्यार पत्नी रामकरण
40. हसा देवी पुत्री रामकरण
41. मोहन लाल पुत्र भागीरथ
42. रामसिंह पुत्र भागीरथ
43. सरबती पत्नी भागीरथ

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम शेरपुरा तन खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

—प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 रा०भू०रा० विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजस्व अधिनियम 1956 शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 26/6/2023 प्रार्थना पत्र संख्या 23/2023 उनवानी प्रकाश व अन्य बनाम तहसीलदार शाहपुरा व अन्य जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार किया गया।

उपस्थित—

1. श्री राजाराम चौधरी वकील अपीलान्ट
2. श्री अरविन्द कुमार पारीक रेस्पोडेन्टनं. 1 लगायत 9 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—31.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 26.06.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2778 / 1766 रकबा 0.1225 हैक्टेयर, 1755 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1757रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2776/1760 रकबा 0.1850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2781/1761 रकबा 0.1325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1758 रकबा 0.09 हैक्टेयर के संबंध में रेस्पोडेण्ट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार शाहपुरा को सीमाज्ञान दिनांक 06.02.2023 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 26.06.2023 को दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 26.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री रोहिताश पुत्र कल्या द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 26.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित संयुक्त खातेदारी की भूमि का अपीलांट व रेस्पोडेण्ट्स में विधिवत आदिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहाँ अपील संख्या 325/2023 विचाराधीन है एवं मौके पर रास्ता चालू है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 2778 / 1766 रकबा 0.1225 हैक्टेयर, 1755 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1757 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2776/1760 रकबा 0.1850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2781/1761 रकबा 0.1325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1758 रकबा 0.09 हैक्टेयर के संबंध में रेस्पोडेण्ट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां प्रस्तुत किया। जिस बाबत् अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त आराजीयात. संयुक्त खातेदार की होना, बटवारा हेतु द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन होना तथा मौके पर रास्ता होना एवं मौके पर आराजीयात को बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज होना, प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा नही होना माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से जब तक बंटवारा नही हो जाता तब तक पत्थरगढी नही किया जाने बाबत् अपना जवाब प्रस्तुत कर आवेदन निरस्त करने के संबंध में निवेदन किया इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/6/2023 पारित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि सम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 26.06.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित उक्त वर्णित भूमि के प्राथीगण एकमात्र काश्तकार खातेदार है एवं काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थी द्वारा विधिवत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार के सीमाज्ञान दिनांक 06.02.2023 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का आवेदन किया गया जिस पर लगातार अपीलांट्स द्वारा आपत्ति की जा रही थी। तंहसीलदार के आदेशानुसार जॉच पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्दबुर्द कर रहे हैं जबकि प्रार्थी ने नियमानुसार ही अपनी खातेदारी भूमि की विधिक अधिकारों के तहत् पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जॉच व रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट के खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला जयपुर उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी प्रकाश पुत्र रामजीलाल व अन्य द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि वाके ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.06.2023 के द्वारा विवादित आराजी के पत्थरगढी करने के आदेश दिए गए। अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित भूमि में आम रास्ता है जिसका अपीलांट्स उपयोग–उपभोग कर रहे हैं इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त अपील पत्थरगढी के आदेश के विरूद्व की गई है ना कि रास्ते के विवाद को लेकर है। उक्त विवादित भूमि रेस्पोडेण्ट के खातेदारी की भूमि है एवं प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक पटवारी व तहसीलदार सैंथल की रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत् ही पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 26.06.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।